न्यायालय – मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजनांदगाँव (छ.ग.)

:: संशोधन आदेश (प्रथम) ::

क्रमांक क/स्टेनो/मु.न्या.मजि./2024 राजनांदगाँव दिनांक 15.02.2024

1. दांडिक कार्य विभाजन आदेश वर्ष 2024 दिनांक 18.01.2024 के पेज नंबर–3, सरल क्रमांक–3 (पीठासीन अधिकारी श्रीमती भावना नायक ठाकुर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजनांदगाँव) के स्तम्भ क्रमांक–3 में उल्लेखित थानों के बाद तथा स्तम्भ क्रमांक–4 की कंडिका–(5) के बाद (6) के रुप में निम्नानुसार जोड़ा जाता है –

03	श्रीमती भावना नायक ठाकुर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजनांदगाँव (छ.ग.)	सिविल जिला राजनांदगाँव के थाना क्षेत्रों से उत्पन्न होने वाले किशोर न्याय (बालकों का संरक्षण) अधिनियम से संबंधित अपराध /प्रकरण	“(6) माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर के पृष्ठांकन क्रमांक 11746/तीन–6–5/16(JJC–59) दिनांक 11.09.2023 तथा छत्तीसगढ़ शासन मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक F 11–5/2023/डबल्यू सी डी/50 नवा रायपुर दिनांक 08.09.2023 के अनुसार किशोर न्याय (बालकों का संरक्षण) अधिनियम के तहत पीठासीन अधिकारी को प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, राजनांदगाँव नामित किए जाने के फलस्वरुप किशोर न्याय बोर्ड, राजनांदगाँव में लंबित तथा सिविल जिला राजनांदगाँव के थानों से उत्पन्न होने वाले प्रकरणों का निराकरण करना ।”

2. दांडिक कार्य विभाजन आदेश वर्ष 2024 दिनांक 18.01.2024 के पेज नंबर–6 सरल क्रमांक–11 के स्तम्भ क्रमांक–2, पेज नंबर–10 **परिशिष्ट–"ए"** के सरल क्रमांक–8 के स्तम्भ क्रमांक–2, पेज नंबर–12 **परिशिष्ट–"बी"** के सरल क्रमांक–10 के स्तम्भ क्रमांक–2 तथा पेज नंबर–14 **परिशिष्ट–"सी"** के सरल क्रमांक–9 के स्तम्भ क्रमांक–2 में उल्लेखित पीठासीन अधिकारी **श्रीमती सीमा प्रताप चन्द्रा** अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डोंगरगढ़ जिला – राजनांदगाँव के स्थान पर पीठासीन अधिकारी **श्री देवेन्द्र साहू** अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डोंगरगढ़ जिला – राजनांदगाँव प्रतिस्थापित किया जाता है ।

3. दांडिक कार्य विभाजन आदेश वर्ष 2024 दिनांक 18.01.2024 के पेज नंबर–12 एवं 13 **परिशिष्ट–"बी"** की टीप क्रमांक–(3) के बाद टीप क्रमांक–(4) के रुप में निम्नानुसार जोड़ा जाता है –

“(4) सिविल जिला राजनांदगाँव में स्थित किशोर न्याय बोर्ड राजनांदगाँव के प्रधान मजिस्ट्रेट या उक्त बोर्ड के सदस्यों के अवकाश पर रहने, शासकीय दौरे पर रहने, मुख्यालय से बाहर रहने या अन्य किसी कारण से अनुपस्थित रहने या न्यायालय के रिक्त रहने पर उनके अगले क्रम के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा अत्यावश्यक कार्य संपादित किया जावेगा जो परिशिष्ट "बी" के सरल क्रमांक–3 में अंकित प्रथम, द्वितीय, तृतीय लिंक मजिस्ट्रेट के क्रम से

निर्धारित होगा, अर्थात् उनके अगले क्रम के लिंक न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के द्वारा कार्य का संपादन किया जावेगा।"

4. दांडिक कार्य विभाजन आदेश वर्ष 2024 दिनांक 18.01.2024 के पेज नंबर–12 एवं 13 **परिशिष्ट–बी** न्यायिक मजिस्ट्रटों के अवकाश पर होने की दशा में उनके न्यायालय का **"अत्यावश्यक"** आपराधिक कार्य संपादन के संबंध में सरल क्रमांक–11 के बाद सरल क्रमांक–12 के रुप में निम्नानुसार जोड़ा जाता है –

क्र.	**नाम एवं पदनाम**	**प्रथम लिंक मजिस्ट्रेट के नाम व पदनाम**	**द्वितीय लिंक मजिस्ट्रेट के नाम व पदनाम**	**तृतीय लिंक मजिस्ट्रेट के नाम व पदनाम**
12	श्रीमती हर्षी अग्रवाल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजनांदगाँव (छ.ग.)	कु. योगिता कुंवर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजनांदगाँव (छ.ग.)	कु. प्रेरणा वर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजनांदगाँव (छ.ग.)	श्री देवेन्द्र दीक्षित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजनांदगाँव (छ.ग.)

यह संशोधन आदेश (प्रथम) माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजनांदगाँव के अनुमोदन दिनांक से प्रभावशील होगा । सही/–

(ओमप्रकाश साहू)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
राजनांदगाँव (छ.ग.)

(माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजनांदगाँव द्वारा अनुमोदित)

पृष्ठा. क्र. क/स्टेनो/मु.न्या.मजि./2024 राजनांदगाँव, दिनांक 20.02.2024

प्रतिलिपि :–

(1) माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, राजनांदगाँव (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

(2) माननीय विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज एक्ट), राजनांदगाँव (छ.ग.)

(3) माननीय प्रथम/तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजनांदगाँव (छ.ग.)

(4) माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.), राजनांदगाँव (छ.ग.)

(5) माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.एस.सी./पॉक्सो), राजनांदगाँव (छ.ग.)

(6) माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश डोंगरगढ़, जिला राजनांदगाँव (छ.ग.)

की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित ।

(7) अध्यक्ष, कम्प्यूटर समिति, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजनांदगाँव की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

(8) श्री देवेन्द्र साहू अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट , डोंगरगढ़ जिला राजनांदगाँव (छ.ग.)

(9) श्री भूपत सिंह साहू, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजनांदगाँव जिला राजनांदगाँव (छ.ग.)

(10) श्रीमती भावना नायक ठाकुर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजनांदगाँव जिला राजनांदगाँव (छ.ग.)

(11) श्रीमती रूचि मिश्रा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजनांदगाँव (छ.ग.)

(12) श्री आशीष भगत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजनांदगाँव (छ.ग.)

(13) श्रीमती अंजली सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजनांदगाँव जिला– राजनांदगाँव (छ.ग.)

(14) श्री शैलेष कुमार वशिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, डोंगरगढ़ जिला– राजनांदगाँव (छ.ग.)

(15) श्रीमती हर्षी अग्रवाल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजनांदगाँव जिला– राजनांदगाँव (छ.ग.)

(16) श्री देवेन्द्र कुमार दीक्षित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजनांदगाँव जिला– राजनांदगाँव (छ.ग.)

(17) कु. प्रेरणा वर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजनांदगाँव जिला – राजनांदगाँव (छ.ग.)

(18) कु. योगिता कंवर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजनांदगाँव जिला – राजनांदगाँव (छ.ग.)

(19) प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, राजनांदगाँव (छ.ग.)

की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित ।

(20) जिला अभियोजन अधिकारी, राजनांदगाँव (छ.ग.) को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी, राजनांदगाँव/डोंगरगढ को संसूचित करने का कष्ट करें ।

(21) अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ, राजनांदगाँव जिला – राजनांदगाँव (छ.ग.)

(22) अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ, डोंगरगढ़ जिला – राजनांदगाँव (छ.ग.) को सूचनार्थ प्रेषित ।

सही /–

(ओमप्रकाश साहू)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
राजनांदगाँव (छ.ग.)